के पूर्व आदेश का पालन ...

17.01.23 पत्रावली पेश। अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। उभय पक्ष की बहस पूर्व में सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने लिखित बहस पूर्व में पेश की लिखित बहस में बताया कि गांव जीरावला तह. रेवदर में प्रार्थी के पुश्तैनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 169, 170, 337 ता 343 व 344/1 कुल किता 10 कुल रकबा 62 बीघा 08 बिस्वा आई हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि रामा पुत्र जगु भाट (राव) निवासी- जीरावला के एकल खातेदारी कब्जे काश्त की थी। उक्त रामा पुत्र जगु की मृत्यु के बाद उपरोक्त आराजी उसके तीन पुत्रों जवान सिंह, मगसिंह एवं धन सिंह के नाम से अंकित हुई, जिसमे जवान सिंह का 1/3 हिस्सा था जवान सिंह की मृत्यु के पश्चात कृषि भूमि प्रार्थी के पिता दलपत सिंह के नाम से खातेदारी में अंकित हुई है। सम्पूर्ण कृषि भूमि पुश्तैनी है व उक्त भूमि का बंटवारा आज तक नहीं हुआ है। प्रार्थी के पिता दलपत सिंह का नाम नैसर्गिक पिता के रूप में संयुक्त हिन्दू गृहस्थ के रूप में अंकित हुआ है। प्रार्थी जिन्सराज सिंह अप्रार्थी सं. एक दलपत सिंह का पुत्र है। जिससे प्रार्थी

उपखण्ड कलेक्टर (S.D.O.) रेवदर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की जारी हुए
	का हलपत सिंह के हिस्से की कृषि भूमि में संयुक्त हिन्दू गृहस्थ की हैसीयत से जन्म से खातेदारी एवं हक हिस्सा है, हलपत सिंह का नाम संयुक्त हिन्दू गृहस्थ के रूप में अंकित हुआ है। प्रार्थी की माता स्व. कुंवर का स्वर्गवास हो चुका है प्रार्थी नाबालिग है एवं प्रार्थी मामा भगतराज सिंह के संरक्षण में अप्रार्थी संख्या एक के मेन्टमेन्ट करने के कारण रह रहा है, प्रार्थी का छठा हिस्सा 1/6 जन्म से रहा है अप्रार्थी सं. एक को प्रार्थी के हक. हिस्से (पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू गृहस्थ की) भूमि को विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है अप्रार्थी सं. एक राजस्व रेकर्ड में उतरी सम्पूर्ण कृषि भूमि को विक्रय करने हेतु प्रयासरत है, जिसे विक्रय करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थी सं. एक द्वारा उक्त आराजी को विक्रय करने की धमकीयां देने के कारण आवेदन एवं वाद प्रस्तुत करना पड़ा है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी सं. एक के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने की जारी करना फरमावें। हमने अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व दस्तावेजो का भली भांती अवलोकन किया एवं मनन किया। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार	

उपखण्ड अधिकारी
(S. D. O.) रेवदर

ख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी सं. एक उक्त कृषि आराजी मौजा जीरावल तहसील रेवदर के ख. सं. 169, 170, 337 ता 343 व 344/1 में तादैफसला मुलवाद मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (S. D. O.) रेवदर	